राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, शाहपुरा

(पीठासीन अधिकारी प्रकाश चन्द्र रेगर, आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या : 03 / 2026 आवन्टन निरस्त

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा	**बनाम**	1. विकास अधिकारी पंचायत समिति जहाजपुर जिला भीलवाडा
—प्रार्थी		—विपक्षी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भू—आवंटन नियम, 1970

उपस्थित —
1. प्रार्थी — तहसीलदार जहाजपुर
2. अप्रार्थी — सहायक विकास अधिकारी, जहाजपुर

निर्णय

दिनांक 04.03.2026

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भू—आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत विपक्षी के विरूद्ध प्रेषित कर निवेदन किया कि मुताबिक राजस्व रेकार्ड के ग्राम जहाजपुर के आराजी नंबर 6447 / 1 रकबा 2 0234 हैक्टेयर किस्म बारानी । भूमि पंचायत समिति जहाजपुर हिस्सा पूर्ण गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। उक्त आवंटित भूमि जहाजपुर बस स्टैण्ड से भगतो की झुपडिया सी.सी. रोड से लगायत दक्षिण दिशा में स्थित है। उक्त आराजी भूमि के संबंध में मौके पर उपस्थित मौतबिरानों द्वारा बताया की यह भूमि पंचायत समिति जहाजपुर को आवंटित हुई थी आवंटन को लगभग 50 वर्ष होना बताया परन्तु वर्षो से इस भूमि पर ना तो कृषि कार्य किया गया है ना ही इस जगह को किसी अन्य प्रयोग में लिया जा रहा है तथा इसके कुछ हिस्से में स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण कर आवासीय भवन बनाकर निवास कर रहें है। वर्तमान में मौके पर उक्त

अति.जिला कल...
शाहपुरा

आराजियात के उत्तर–पश्चिम हिस्से में एक आवासीय भवन तथा एक अघोरी बाबा का आश्रम बना हुआ है। मौतबिरानों द्वारा बताया की पंचायत समिति, जहाजपुर द्वारा इसे कभी उपयोग में नहीं लिया गया है। तथा न ही इस आराजी में कभी फसल काश्त होते देखा गया है इसलिए पंचायत समिति जहाजपुर द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने से आवंटन निरस्त किया जाना उचित है। उक्त आराजी की भूमि नॉन कमाण्ड में होकर नगरपालिका जहाजपुर के पैराफेरी क्षेत्र में स्थित है। अतः प्रार्थना है कि पंचायत समिति जहाजपुर को उक्त आधार पर दी गई गैर खातेदारी भूमि निरस्त योग्य पाया जाने से अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 14 (4) स्वीकार फरमाया जाकर आवंटन निरस्त फरमाया जाकर भूमि बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय में पंजीबद्व किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 25.02.2025 को अप्रार्थी उपस्थित हो ईकबालिया जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया की पंचायत समिति जहाजपुर द्वारा उक्त आराजी का उपयोग उपभोग में नही आने से आवंटन खारिज किया जाने हेतु निवेदन किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में प्रार्थी बहस सुनी गयी।

प्रकरण में प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि विपक्षी को ग्राम जहाजपुर के आराजी नंबर 6447/1 रकबा 2.0234 हैक्टेयर भूमि को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। आवंटी (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटी का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि पटवार हल्का की मौका पर्चा रिपोर्ट में अंकित किया हैं कि ग्राम जहाजपुर के आराजी नंबर

अति.जिला कलक्टर
शाहपुरा

6447/1 रकबा 2.0234 हैक्टेयर भूमि मौके पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं [illegible] प्रस्तुत खसरा गिरदावरी में भी फसल काश्त नही होकर मौके पर पडत बताई गई है। इस प्रकार आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नही की गयी है। प्रश्नगत भूमि खसरा नं. 6447/1 रकबा 2.0234 हैक्टेयर राजस्व विभाग द्वारा पंचायत समिति जहाजपुर को आवंटित की गयी है जो कि तहसीलदार जहाजपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में गैर खातेदार अंकित है। आवंटन सशर्त होने के कारण मालिकाना हक सृजित नही करते है एवं शर्तो का उल्लंघन आंवटन को निरस्त करने के लिये ठोस आधार है जो कि तहसीलदार ने खसरा गिरदावरी एवं मौका पर्चा द्वारा प्रमाणित किया है। जिसे विकास अधिकारी पंचायत समिति जहाजपुर ने भी अपने जवाब में स्वीकार किया है तथा आवंटन को खारिज करने का निवेदन किया है।

" Gair khatedari allottee has no permanent rights but conditional, land remains govt. property on violation of conditions revenue authority can cancel/resume. "

विवेचनानुसार आवंटी द्वारा भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) की पालना नहीं की जाना प्रमाणित होता हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) स्वीकार योग्य हैं।

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) बावत् भू–आवंटन निरस्तीकरण का स्वीकार कर विपक्षी के नाम आवंटित ग्राम जहाजपुर के आराजी नंबर 6447/1 रकबा 2.0234 हैक्टेयर भूमि आवंटन को खारिज किया जाता हैं एवं तहसीलदार जहाजपुर को निर्देश दिये जाते है कि ग्राम ग्राम जहाजपुर के आराजी नंबर 6447/1 रकबा 2.0234 हैक्टेयर भूमि को कब्जे सरकार लेकर राजस्व रिकार्ड में बिलानाम दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार जहाजपुर को दी जावे।

निर्णय आज दिनांक 04.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

04/3/26

(प्रकाश चन्द्र रेगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर

अति. जिला कलक्टर